छत्तीसगढ़ नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउन्सिल
पुराना नर्सेस हॉस्टल, संचालनालय चिकित्सा शिक्षा
रायपुर, छत्तीसगढ़

फोन नं. 0771–2227600 ईमेल snrc.cg@gmail.com, वेबसाइट www.cgnrc.org

क्रमांक / रजि0 नर्सिंग कां0 / निरीक्षण / 2021 / 4341 रायपुर, दिनांक 27 / 11 / 2021

प्रति,

प्राचार्य / संचालक,
समस्त शासकीय एवं निजी नर्सिंग,
स्कूल / प्रशिक्षण केन्द्र,
छत्तीसगढ़

विषय :– **प्रवेश वर्ष 2021 हेतु निरीक्षण शुल्क जमा करने बाबत्।**

संदर्भ:– **छ.ग. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन के आदेश कमांकः एफ 17–72 / 2021 / नौ / 55–4, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर दिनांक 26.11.2021**

––00––

उपरोक्त विषयांतर्गत सदर्भित पत्र के परिपेक्ष्य में लेख है कि **जी.एन.एम. पाठ्यक्रम** में छ.ग. नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल द्वारा अनुमति प्रदान करने हेतु निरीक्षण शुल्क प्राप्त होने के उपरांत ही अग्रिम कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।

अतः ऐसे नर्सिंग स्कूल / प्रशिक्षण केन्द्र जो जी.एन.एम. पाठ्यक्रम में प्रवेश वर्ष 2021 के लिए अनुमति हेतु निरीक्षण शुल्क छ.ग. नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल द्वारा निर्धारित **रू. 30,000 / – (अक्षरी तीस हजार रूपये मात्र)** जमा नहीं किये ऐसे संस्था अतिशीघ्र ऑनलाईन के माध्यम से इस कार्यालय में **दिनांक 01.12.2021** तक आवेदन के साथ जमा करना सुनिश्चित करे ताकि अग्रिम कार्यवाही किया सकें। निर्धारित दिनांक के पश्चात् प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

रजिस्ट्रार
छ.ग. नर्सेस रजि. काउन्सिल
रायपुर, छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय, महानदी भवन ::
नवा रायपुर, अटल नगर, जिला–रायपुर–492002

–:: आदेश ::–

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 26 NOV 2021

क्रमांक:एफ 17–72/2021/नौ/55–4 :: इंडियन नर्सिंग कांउसिल द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक F.No.1-5/2020-INC दिनांक 26.11.2020 में जी.एन.एम. स्कूलों को बी.एस.सी. नर्सिंग कॉलेजों में अपग्रेड करना संभव नहीं हो पाने के कारण जी.एन.एम. स्कूलों को बंद करने के निर्णय को वापस लेते हुए वर्ष 2021–22 के पश्चात भी जी.एन.एम. स्कूल चालू रखने का निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर का पत्र क्रमांक एफ 10–06/2019/नौ/55–4, दिनांक 16.06.2020 द्वारा जी.एन.एम. पाठ्यक्रम को वर्ष 2019–20 से शासकीय एवं निजी संस्थानों में प्रवेश पर प्रतिबंध किया गया था।

2/ राज्य शासन द्वारा–इंडियन नर्सिंग काउंसिल की अधिसूचना दिनांक 26.11.2020 के अनुपालन में राज्य शासन द्वारा जी.एन.एम. पाठ्यक्रम के प्रवेश पर लगाये गये प्रतिबंध को वापस लिया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से,
तथा आदेशानुसार

26/11/2021

(राजीव अहिर)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग

पृ. क्रमांक एफ 17–72/2021/55,
अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 26 NOV 2021

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, मान. मंत्रीजी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा, मंत्रालय, नवा रायपुर।
2. स्टॉफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर।
3. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, छ0ग0 रायपुर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. समस्त अधिष्ठाता, शासकीय एवं निजी नर्सिंग कॉलेज, छ.ग. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. आदेश फोल्डर हेतु।

26/11/2021

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग